न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद
(बाल मुकुन्द असावा,आई0ए0एस0,जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)
राजस्व अपील संख्याः 08/2023
दायर दिनांकः 27.06.2023
निर्णय दिनांक 08.11.2024

—:अनवानः—

श्री सुखदास पिता खेमदास जी जाति वेरागी उम्र 62 वर्ष निवासी डूंगा खेडा तहसील आमेट जिला राजसमंद **— अपीलार्थी**

बनाम

1. श्रीमान उप तहसीलदार साहब सरदारगढ तहसील आमेट जिला राजसमंद
2. श्रीमान् पटवारी साहब, पटवार हल्का ओलना खेडा तहसील आमेट जिला राजसमंद

—— रेस्पोंडेन्टगण

अपील विरुद्ध आदेश न्यायालय उप तहसीलदार साहब सरदारगढ दिनांक 19.05.23 मुकदमा नम्बर 01/2023 नाजायज कब्जा, बअनवान पटवार हल्का ओलना खेडा बनाम सुखदास द्वारा पारीत पीठासीन अधिकारी सीताराम जी खटीक उप तहसीलदार सरदारगढ़ जिला राजसमंद के आदेश से व्यथीत होकर

उपस्थित :—

1— श्री R.L. रावत, अधिवक्ता अपीलांट

2— श्री अनील बागोरा, राज0अधि0, रेस्पोडेन्टगण

—:: निर्णय ::—

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि हल्का पटवारी ओलना खेडा ने पटवारी रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार साहब सरदारगढ के समक्ष दिनांक 04.04.2023 को पेश करके उल्लेख किया कि मौजा ग्राम डूंगा खेड़ा के आराजी नम्बर 394 रकबा 0.2100 हेक्टर किस्म रास्ता बिलानाम मे से 0.0030 हेक्टर पर मौके पर ईटों की दिवार बना कर पक्का निर्माण किया हुआ है। इस आशय की रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत की, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण संख्या 01/2023 नाजायज कब्जा पंजीबद्ध करते हुए राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत् नोटिस जारी किये गये एवं दिनांक 11.04.2023 को अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित रहने बाबत् सूचना पत्र की तामील हुई एवं उक्त पत्रावली पर अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट के द्वारा अपनी ओर से अधिवक्ता नियुक्त करके अपनी ओर से लिखित में जवाब पेश किया, जो पत्रावली पर मौजूद है, साथ ही उक्त जवाब में अपीलान्ट सुखदास ने अधीनस्थ न्यायालय में अपनी ओर से यह जवाबदेही पेश की कि मौके पर अपीलन्ट का जो मकान है वह विरासत में अपने

न्यायालय जिला कलक्टर

पिता खेमदास पिता हीरादास जाति वैरागी निवासी डूंगाखेडा को ग्राम पंचायत ओलना खेडा द्वारा आबादी भूमि का पट्टा दिया गया, उक्त पट्टे की जमीन पर खेमदास जी निवास करते थे एवं खेमदास जी की मृत्य के बाद हम तीनो भाई बंटवारा करके निवासरत है, पट्टे की जमीन पर रतनदास, नानादास, सुखदास ने मकान बना रखे एवं निवासरत है। अपीलान्ट के हिस्से में कच्चा मकान होने से उसे गिरा कर उसी जगह पर रास्ते की तरफ 3–4 फीट जगह छोडं कर फिर निर्माण किया गया है। आराजी नम्बर 394 में अपीलान्ट का कोई अतिक्रमण नहीं है. अपीलान्ट टाईटलघारी है तथा टाईटल के दस्तावेज सक्षम प्राधिकारी ग्राम पंचायत ओलना खेडा द्वारा जारी ग्राम पंचायत के पट्टे की जमीन पर अपीलान्ट निवासरत है। अधीनस्थ न्यायालय में गलत रूप से हल्का पटवारी की गलत रिपोर्ट पर गलत कार्यवाही की है एवं आराजी नम्बर 394 रास्ते पर अपीलान्ट के द्वारा कोई रास्ता बन्द नहीं किया गया है, न ही कोई रास्ते में अतिक्रमण है एवं अपीलान्ट गरीब व्यक्ति है, जिसके पास आय का कोई जरिया नहीं है, मेहनत मजदुरी करके अपने विरासत से प्राप्त मकान के गिर जाने से उसकी जगह पर नया मकान निर्मित किया गया है. लेकिन गांव के कतिपय लोगो के द्वारा गलत शिकायत तहसीलदार साहब आमेट को की गई, जिसकी वास्तविक जांच हल्का पटवारी द्वारा नहीं की। मात्र अपीलान्ट को नुकसान पहुंचाने की नियत से गलत कार्यवाही की गई है। वास्तव में आराजीनम्बर 394 पर गांव के 20–25 लोगों ने पक्के मकान, बाडा नोहरे बना करके अतिक्रमण कर रखा है, उसके विरूद्ध हल्का पटवारी अतिक्रमियो से मिला हुआ है एवं उनके विरूद्ध कोई अतिक्रमण की कार्यवाही नही की गई जो प्रकट करता है कि हल्का पटवारी मिला हुआ है एवं गलत सूचना देकर टाईटलघारी व्यक्ति सुखलाल के विरूद्ध गलत कार्यवाही कर रहा है। उक्त जवाब पत्रावली पर होने के बावजूद भी अधिनस्थ न्यायालय ने पारित आदेश में इन चीजो का कोई जिक्र नहीं किया एवं मात्र छपे हुए फार्म में आदेश पारीत कर अपीलान्ट को बेदखल करने की कार्यवाही की है, जो विधि विरूद्ध है अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका का अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है कि पत्रावली पर अपीलान्ट के द्वारा अपनी ओर से स्वामित्व संबंधित दस्तावेज पेश किये गये, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने न तो अधिवक्ता बहस एवं प्रस्तुत दस्तावेज का आदेशिका में उल्लेख किया है न ही आलोच्य आदेश में उक्त जवाब का कोई उल्लेख किया गया है, ऐसी स्थिति में जो आलोच्य आदेश पारित किया गया है, वह पूर्वाग्रहित होना प्रकट होता है एवं राजनीति से प्रेरित आदेश है। ऐसे आदेश विधि के विरूद्ध होने से अपास्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता ने विधि सम्मत कानूनी जवाब भी पेश किया, अपने टाईटल का विधिक दस्तावेज भी पेश किया, साथ ही अधिवक्ता की ओर से कानूनी नजीरे भी पेश की गई, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने इन सारे पत्रावली पर मौजुद दस्तावेजो से परे जाकर के अधीनस्थ न्यायालय में बिना विवेक का प्रयोग किये गये छपे हुए फार्म में आदेश पारीत करने में भारी कानूनी भूल कारित की है, वह खारीज योग्य है। रेस्पोडेन्ट्स के द्वारा जो आलोच्य आदेश पारित किया है वह स्पीपिंग आर्डर की श्रेणी में नहीं आता है। यदि अपीलान्ट के विरूद्ध बेदखली का आदेश दिया भी जाता है तो अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा बेदखली का उचित कारण बताते हुए आदेश पारित करना चाहिए, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने जो आदेश पारित किया है, उसके अवलोकन से प्रकट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली से परे जाकर के जो आदेश पारित किया है वह अपास्त योग्य है।

अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय न्यायालय उप तहसीलदार साहब सरदारगढ दिनांक 19.05.2023 मुकदमा नम्बर 01/2023 नाजायज कब्जा, बअनवान पटवार हल्का ओलना खेड़ा बनाम सुखदास के आदेश को अपास्त कर खारीज किया जावे एवं अपीलान्ट के विरूद्ध किसी प्रकार की बेदखली की

न्यायालय जिला कलक्टर

कार्यवाही नही की जावे एवं अपीलान्ट को अतिक्रमी घोषित नहीं किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

अपील को दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोण्डेंटगण को जरिये सम्मन सूचना दी गई एवं अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पोडेण्टगण की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने उपस्थिति दी।

उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट के द्वारा बहस में अपील मेमो में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि हल्का पटवारी ओलना खेडा ने पटवारी रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार साहब सरदारगढ के समक्ष दिनांक 04.04.2023 को पेश करके उल्लेख किया कि मौजा ग्राम डूंगा खेड़ा के आराजी नम्बर 394 रकबा 0.2100 हेक्टर किस्म रास्ता बिलानाम मे से 0.0030 हेक्टर पर मौके पर ईटों की दिवार बना कर पक्का निर्माण किया हुआ है। इस आशय की रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत की, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण संख्या 01/2023 नाजायज कब्जा पंजीबद्ध करते हुए राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत् नोटिस जारी किये गये एवं दिनांक 11.04.2023 को अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित रहने बाबत् सूचना पत्र की तामील हुई एवं उक्त पत्रावली पर अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट के द्वारा अपनी ओर से अधिवक्ता नियुक्त करके अपनी ओर से लिखित में जवाब पेश किया, जो पत्रावली पर मौजूद है, साथ ही उक्त जवाब में अपीलान्ट सुखदास ने अधीनस्थ न्यायालय में अपनी ओर से यह जवाबदेही पेश की कि मौके पर अपीलन्ट का जो मकान है वह विरासत में अपने पिता खेमदास पिता हीरादास जाति वैरागी निवासी डूंगाखेडा को ग्राम पंचायत ओलना खेडा द्वारा आबादी भूमि का पट्टा दिया गया, उक्त पट्टे की जमीन पर खेमदास जी निवास करते थे एवं खेमदास जी की मृत्य के बाद हम तीनो भाई बंटवारा करके निवासरत है, पट्टे की जमीन पर रतनदास, नानादास, सुखदास ने मकान बना रखे एवं निवासरत है। अपीलान्ट के हिस्से में कच्चा मकान होने से उसे गिरा कर उसी जगह पर रास्ते की तरफ 3–4 फीट जगह छोड कर फिर निर्माण किया गया है। आराजी नम्बर 394 में अपीलान्ट का कोई अतिक्रमण नहीं है. अपीलान्ट टाईटलघारी है तथा टाईटल के दस्तावेज सक्षम प्राधिकारी ग्राम पंचायत ओलना खेडा द्वारा जारी ग्राम पंचायत के पट्टे की जमीन पर अपीलान्ट निवासरत है। अधीनस्थ न्यायालय में गलत रूप से हल्का पटवारी की गलत रिपोर्ट पर गलत कार्यवाही की है एवं आराजी नम्बर 394 रास्ते पर अपीलान्ट के द्वारा कोई रास्ता बन्द नहीं किया गया है, न ही कोई रास्ते में अतिक्रमण है एवं अपीलान्ट गरीब व्यक्ति है, जिसके पास आय का कोई जरिया नहीं है, मेहनत मजदुरी करके अपने विरासत से प्राप्त मकान के गिर जाने से उसकी जगह पर नया मकान निर्मित किया गया है. लेकिन गांव के कतिपय लोगो के द्वारा गलत शिकायत तहसीलदार साहब आमेट को की गई, जिसकी वास्तविक जांच हल्का पटवारी द्वारा नहीं की। मात्र अपीलान्ट को नुकसान पहुंचाने की नियत से गलत कार्यवाही की गई है। वास्तव में आराजीनम्बर 394 पर गांव के 20–25 लोगों ने पक्के मकान, बाडा नोहरे बना करके अतिक्रमण कर रखा है, उसके विरूद्ध हल्का पटवारी अतिक्रमीयो से मिला हुआ है एवं उनके विरूद्ध कोई अतिक्रमण की कार्यवाही नही की गई जो प्रकट करता है कि हल्का पटवारी मिला हुआ है एवं गलत सूचना देकर टाईटलघारी व्यक्ति सुखलाल के विरूद्ध गलत कार्यवाही कर रहा है। उक्त जवाब पत्रावली पर होने के बावजूद भी अधिनस्थ न्यायालय ने पारित आदेश में इन चीजो का कोई जिक्र नहीं किया एवं मात्र छपे हुए फार्म में आदेश पारीत कर अपीलान्ट को बेदखल करने की कार्यवाही की है, जो विधि विरूद्ध है अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश को अपास्त फरमाया जावे।

न्यायालय जिला कलक्टर

राजकीय अधिवक्ता ने बहस मे निवेदन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार, सरदारगढ़ द्वारा पारित किया गया आदेश विधिसम्मत है। अपील आधारहीन होने से खारिज फरमायी जावें।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर गहन मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को अपना पक्ष/जवाब/साक्ष्य व सबूत पेश करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए निर्णय पारित कर बेदखली का आदेश दिया हैं। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज के अनुसार अपीलार्थी का तथाकथित पट्टा आराजी संख्या 288 का हैं जबकि अपीलार्थी के विरूद्ध अतिक्रमण की कार्यवाही आराजी संख्या 394, जो कि बिलानाम रास्ते की भूमि है, के संबंध में की गयी। अर्थात वादग्रस्त भूमि की किस्म बिलानाम है। और बिलानाम भूमि पर किये गये अतिक्रमण के संबंध में पारित बेदखली का आदेश विधिसम्मत है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील आधारहीन होने से खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता हैं।

::आदेश::

अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार कर खारिज किया जाता है तथा अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार, सरदारगढ़ के द्वारा दिनांक 19.05.2023 को पारित आदेश यथावत रखा जाता है। तहसीलदार, सरदारगढ़ को निर्देशित किया जाता है कि वादग्रस्त भूमि से अपीलांट का कब्जा हटाकर पालना रिपोर्ट भिजवायी जावें।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मय निर्णय की प्रति तहसीलदार, सरदारगढ़ को लौटायी जावे।

(बाल मुकुन्द असावा)
जिला कलक्टर
राजसमंद

निर्णय आज दिनांकः 08.11.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

(बाल मुकुन्द असावा)
जिला कलक्टर
राजसमंद